

सं.2020/दिल्ली/15(10)/3(MRevents)(3321440) नई दिल्ली, दिनांक: 07.01.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलेंदूरसंचार परिपत्र सं. 01/2021

विषय: (i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित वीआईपी कार्यक्रमों के लिए दरों का निर्धारण।

(ii) क्षेत्रीय रेलों द्वारा दिनांक 01.04.2020 से आरसीआईएल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित वीवीआईपी कार्यक्रमों के भुगतान के लिए कार्यविधि।

रेल मंत्रालय की स्वीकृति दिनांक 01.10.2019 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वीआईपी कार्यक्रमों के लिए निम्नानुसार दरों के निर्धारण हेतु एतद्वारा संसूचित की जाती है: -

स्थान	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के कार्यक्रम	उप-राष्ट्रपति/रेल मंत्री/केंद्रीय मंत्री/मुख्य मंत्री/राज्यपालों के कार्यक्रम	अन्य पदाधिकारियों जैसे रेल राज्य मंत्री/संसद सदस्यों के कार्यक्रम
केंद्रीय स्थान (जहां गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और आरसीआईएल द्वारा कोडेक/कैमरा स्थापित किया गया है)	4,00,020.00 + जीएसटी	3,20,016.00 + जीएसटी	2,00,010.00 + जीएसटी
दूरस्थ स्थान (वीसी के माध्यम से जुड़े अन्य स्थान जहां आरसीआईएल द्वारा कोडेक/कैमरे स्थापित किए गए हैं)	2,47,470.00 + जीएसटी	1,97,976.00 + जीएसटी	1,23,735.00 + जीएसटी

उपरोक्त दरें इस पत्र के जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगी और आरसीआईएल द्वारा वीसी उपकरण के प्रावधान की व्यवस्था इस पत्र के जारी होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

2. दिनांक 01.04.2020 से वीसी के माध्यम से आयोजित वीआईपी कार्यक्रमों के लिए आरसीआईएल को क्षेत्रीय रेलवे/रेलवे इकाइयों द्वारा भुगतान की प्रक्रिया के लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी के बारे में सूचित किया जाता है। इसके लिए डिवीजनों में डीआरएम, मुख्यालय/पीयू में एजीएम या उससे ऊपर के अनुमोदन और सहयोगी वित्त की सहमति की आवश्यकता होगी। पूर्व में आयोजित हो चुके कार्यक्रमों के लिए जोनों/पीयू/मंडलों द्वारा उपरोक्त अनुमोदित दरों पर कार्यांतर सहमति और कार्यांतर अनुमोदन किया जा सकता है।

ऐसे वीआईपी कार्यक्रम आयोजित करने में आरसीआईएल और रेलवे की भूमिका निम्नलिखित होगी:


1. आरसीआईएल ऐसे वीवीआईपी आयोजनों के लिए कोडेक के साथ आवश्यक संख्या में वीडियो कैमरे स्थापित करेगा। इसके लिए आरसीआईएल द्वारा पर्याप्त स्पेयर सामग्री रखी जाए।
2. आरसीआईएल को अपने एमपीएलएस नेटवर्क पर न्यूनतम 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ आवश्यक बिंदु से बिंदु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैनलों को कॉन्फिगर करना चाहिए। आरसीआईएल द्वारा अपने

एमपीएलएस नेटवर्क पर जितना संभव और व्यवहार्य हो सके, बहुपथों को कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए ताकि किसी भी ओएफसी कटौती के कारण कार्यक्रम के दौरान वीसी में कोई रुकावट न हो।

3. रेलवे दूरस्थ/केंद्रीय स्थानों, जहां कोडेक्स/कैमरे लगाए जाने हैं और आरसीआईएल की निकटतम उपस्थिति के बीच विश्वसनीय अंतिम माइल कनेक्टिविटी (Last Mile connectivity) की व्यवस्था करेगा।
4. रेलवे निकटतम आरसीआईएल के पीओपी से वीवीआईपी कार्यक्रम स्थलों पर न्यूनतम 10 एमबीपीएस चैनल तक विस्तार करने के लिए स्थानीय लीड के साथ पूर्ण एचडी डिस्प्ले प्रदान करेगा और पर्याप्त रूप से स्थान को कवर करने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी प्रदान करेगा जहां वीवीआईपी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
5. रेलवे ऐसे विभिन्न स्थानों के बीच सुचारू संचालन के लिए आवश्यक संचार सुविधाएं भी प्रदान करेगा जहाँ वीवीआईपी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
6. आरसीआईएल इंटरनेट आधारित वीडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग लिंक (जैसे वेबेक्स) भी तैयार करेगा और जब भी रेलवे द्वारा कहा जाएगा तो आरसीआईएल यूट्यूब पर कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम भी करेगा।
7. आरसीआईएल और रेलवे संयुक्त रूप से घटना के पूरा होने पर, भुगतान की प्रक्रिया के लिए एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। इवेंट के दौरान वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेवा गुणवत्ता में किसी भी गिरावट को दर्ज किया जा सकता है। आयोजन के सफल समापन पर आरसीआईएल को भुगतान किया जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।



(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक/दूरसंचार
रेलवे बोर्ड

सं.2020/टेली/15(10)/3(MRevents)(3321440)

नई दिल्ली, दिनांक: 07.01.2021

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।


कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त (व्यय)-II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल), प्लॉट-ए, छठी मंजिल, ऑफिस टॉवर-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023.